uxj i pk;r vdh] ftyk lkyu] fgekpy in'k d y[kkvk vof/k 04@2007 l 03@2010 rd dk vd{k.k o fujh{k.k ifrosnu

nuA

Hkkx&,d

ijk 1 ¼d½ ikjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vd{k.k vof/k d nkjku vkgj.k ,o forj.k vf/kdkjh d in ij fuEufyf[kr i/kku o lfpo dk;jr jg %&

i/kku %&

Øekd	uke	vof/k
1	श्री सतीष कष्यप	18.01.2006 से 31.03.2007

lfpo %&

Øekd	uke	vof/k
1	श्री केषव राम कोली	25.10.2003 से 03.02.2009
2	श्री सत्य प्रकाष	05.02.2009 से 24.02.2009
3	श्री बलदेव शर्मा	02.03.2009 से 31.03.2010

¼[k½ uxj i pk;r vdh d y[kkvk d vd{k.k vof/k 04@2007 l 03@2010 e ikbZ xbZ xEHkhj vkifÙk;k dk lf{kIr lkj %&

Øekd	ijk l[;k	vd{k.k vkifÙk dk lf{kIr lkj
1.	6	गृहकर व दुकानों के किराये की राषि ₹32.96 लाख वसूली हेतु शेष।
2.	7.2.2	निर्माण कार्यों पर राषि ₹1,48,500 का अनियमित भुगतान।
3.	8.9	हाइड्रोलिक टीप्पर के क्रय पर राषि ₹7.05 लाख का अनियमित

		भुगतान।
4.	9	वेतन शीर्ष में बजट प्रावधान स राषि ₹0.35 लाख अधिक व्यय करना।
5.	9.1	संषोधित वेतन मानों में गलत वेतन निर्धारण के कारण राषि ₹0. 21 लाख का अधिक भुगतान।

¼x½ <u>xr vads{k.k ifrosnu</u> %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''अ'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

<u>Hkkx&nks</u>

iSjk 2 <u>orZeku vads{k.k</u> %&

नगर पंचायत अर्की के लेखाओं अवधि 04/2007 से 03/2010 का वर्तमान अंकेक्षण श्री बलदेव राज शर्मा सहायक नियन्त्रक (ले0प0) द्वारा 03.11.2010 से 15.12.2010 तक अर्की में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए क्रमषः 03/2008, 01/2009, 02/2010 व मास 06/2007, 03/2009 व 03/2010 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफ में दर्षाए गए अभिलेख के अलावा समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व अभिलेख के आधार पर किया गया है। अधूरी व छुपाई गई सूचना व अभिलेख के लिए लेखा परीक्षा विभाग का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित मासों तक सीमित होगा।

iSjk 3 <u>vads{k.k 'kqYd</u> %&

04/2007 से 03/2010 की अवधि के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹14,400/—आंका गया। सचिव, नगर पंचायत को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राषि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा

निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के नाम प्रेषित करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 159, दिनांक 15.12.2010 द्वारा अनुरोध किया गया है।

i`jk 4 foÙkh; fLFkfr

नगर पंचायत अर्की के लेखाओं अवधि 04/2007 से 03/2010 तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी :–

Ok"k	2007&2008	2008&2009	2009&2010
vkjfEHkd 'k"k	11]50]045-64	16]32]986-64	22]85]637-64
ikfIr;k	33,86,160.00	42,79,339.00	50,43,375.00
dqy	45]36]205-64	59]12]325-64	73]29]012-64
O;;	(–) 29,03,219.00	(–) 36,26,688.00	(–) 44,59,545.00
vUr'k"k	16]32]986-64	22]85]637-64	28]69]467-64

4-1 vfUre 'k"k dk fooj.k %&

पंचायत के बैंक खातों में दिनांक 31.03.10 को ₹31,60,925.04 की राषि शेष थी जिसका बैंक वार विवरण परिषिष्ट–''क'' में दिया गया है।

4-2 cid lek/kku fooj.kh %&

दिनांक 31.03.11 को पंचायत के बैंक खातों की समाधान विवरणी निम्न प्रकार थी :–

रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.03.10 को शेष राषि ₹28,69,467.64

जमा चैक जो जारी किए गए थे लेकिन 31.03.10 तक

भुगतान हेतु बैंक को प्रस्तुत नहीं किए गए

pid l0	fnukd	jkf'k	cid dk uke
304099	31.03.10	225671	SBP Batal
10932	31.03.10	3128	JCB Arki
10933	31.03.10	19096	JCB Arki
434143	31.03.10	4200	UCO Arki
434144	31.03.10	8686	UCO Arki
434145	31.03.10	10018	UCO Arki

434146	31.03.10	1000	UCO Arki
434147	31.03.10	12057	UCO Arki
434148	31.03.10	2600	UCO Arki
434149	31.03.10	2400	UCO Arki
434150	31.03.10	2600	UCO Arki
	dqy ;ksx	₹2]91]456	

¼$½₹2]91]456

;ksx ₹31]60]923-64

बैंक खातों में 31.03.10 को परिषिष्ट ‘‘क’’ अनुसार राषि ₹31]60]925-04

vUrj ₹1-40

अतः 31.03.10 को रोकड़ बही के अनुसार बैंक खातों मे शेष राषि व बैंक पास बुकों की शेष राषि में ₹1.40 का अन्तर पाया गया। पंचायत इस अन्तर का मिलान अपने स्तर पर करें अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

4-3 jkf'k ₹1]111@& dk lEHkkfor nq:Ik;ksx djuk ¼&

रोकड़ बही के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि राषि ₹1,111/–का निम्न विवरणानुसार सम्भावित दुरूपयोग किया गया। इन मामलों की पूर्ण जाँच की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼i½ 10/2008 में वेतन पर ब्याज का योग ₹1,65,486/–था तथा इतनी ही राषि का चैक जारी किया गया था

¼$½ लेकिन रोकड़ बही से ₹1,66,486/–कम किए गए परिणामस्वरूप रोकड़ बही से ₹1000/–की राषि अधिक कम की गई। 1000/–

¼ii½ 13.07.2009 को रोकड़ बही में जी–8 संख्याः 45/28 से 47/28 के द्वारा प्राप्त राषि का योग अंकेक्षण गणना अनुसार ₹1,338/–बनता लेकिन रोकड़ बही में ₹1,337/–दर्षाया गया परिणामस्वरूप कम जमा राषि ₹1.00 थी। 1.00

¼iii½ 25.02.2010 को रोकड़ बही में जी–8 संख्याः 45/35 व 46/35 का योग अंकेक्षण गणना अनुसार ₹9,037/–बनता था जबकि यह 10/–

₹9,027 / –दर्शाया गया परिणामस्वरूप ₹10 / –की राषि कम जमा हुई।

¼iv½ मास 07 / 08 की आय अंकेक्षण गणना अनुसार ₹37,675 / –बनती थी लेकिन रोकड़ बही में गणना में ₹37,575 / –दर्षाइ गई परिणामस्वरूप ₹100 / –कम दर्षाये गए। 100 / –

dqy 1]111@&

31.03.2010 को गलत गणना के कारण रोकड़ बही में कम जमा ₹1,401 / –की राषि में से ₹1,390 / –की राषि ₹31,03.2010 के बाद जमा करवा दी गई थी तथा शेष ₹11 / –की कम जमा राषि सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

4-4 jkdM+ cgh dk vuqj{k.k mfpr <x ls u djuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही का अनुरक्षण उचित ढंग से नहीं किया गया है। इसमें बहुत अधिक कटिंग व राषियों को Deface करके लिखा गया है। अवधि 06 / 2009 से 03 / 2010 की रोकड़ बही एक बार लिखने के बाद इसे रद्द करके नई रोकड़ बही प्रारम्भ करना एक गम्भीर अनियमितता है। नियमानुसार रोकड़ बही को दैनिक आधार पर लिखा जाना व प्रत्येक मास के अन्त में बैंक पास बुक के साथ मिलान किया जाना अपेक्षित था लेकिन पंचायत द्वारा इसके विपरीत रोकड़ बही का रख–रखाव किया गया इससे यह प्रतीत होता है कि नगर पंचायत प्रषासन रोकड़ बही के अनुरक्षण पर गम्भीर नहीं है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा पूर्व में 06 / 2009 से 03 / 2010 की अवधि की लिखी गई दोषपूर्ण रोकड़ बही को भविष्य में प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही व बैंक पास बुकों का मिलान करके अपेक्षित प्रमाण–पत्र रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

4-5 jkdM+ cgh dk cSd ls feyku u djuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही के शेष को प्रत्येक मास के अन्त में बैंक खातों के शेष से मिलान नहीं किया जाता है। जबकि यह प्रत्येक मास के अन्त में किया जाना आपेक्षित था। अतः प्रत्येक मास की रोकड़ बही के अन्तिम शेष की बैंक से समाधान विवरणी तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

5 vuqnku %&

अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों का विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार परिषिष्ट–''ख'' पर दर्षाया गया है। इन अनुदानों के विरूद्ध अधिकतर उपयोगिता प्रमाण

पत्र जोनल मिटिंग के दौरान प्रेषित किए गए दर्षाए गए हैं लेकिन इनकी प्रति कार्यालय में अभिलेख हेतु नहीं रखी गई थी और न ही इनके जोनल मिटिंग में प्रस्तुत करने के प्रमाण मे कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अतः परामर्ष दिया जाता है कि सम्बन्धित कार्यालय/विभाग से इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

6 vk;

xgdj o n|dkuk d| fdjk;| d| jkf'k ₹32]95]708@&fnukd 31-03-10 dk| o|lyh g|r| 'k"k|&

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार 31.03.2010 को ₹3,94,242/–व ₹29,01,466/–(कुल ₹32,95,708/–) की राषि क्रमषः दुकानों के किराया व गृहकर की वसूली हेतु शेष थी जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। नगर पंचायत के आय के साधन एक तो पहले ही कम हैं तथा जो साधन उपलब्ध हैं उनके दोहन दर भी बहुत कम है। परिणामस्वरूप नगर पंचायत द्वारा अपने साधनों से नियमित/Recurring व्यय भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जबकि निदेषक, शहरी विकास के पत्र संख्याः ULB-H(A)(7)-1/87-9237-9284, दिनांक 20.06.2001 के द्वारा करों आदि की शत प्रतिषत वसूली के निर्देष जारी किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद स्थिति यथावत थी जिसका ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः परामर्ष दिया जाता है कि नगर पंचायत शेष राषि की वसूली हेतु तुरन्त ठोस पग उठायें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

6-1 iêk fdjk;k jkf'k e| 5 o"k| d| ckn c<k|rjh u djuk ½&

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा 5 वर्ष के बाद नियमानुसार 10 प्रतिषत की दर से पट्टा किराया राषि में बढ़ौतरी नहीं की गई है जबकि यह प्रक्रिया प्रत्येक पांच वर्ष के बाद की जानी अपेक्षित थी। उदाहरण के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट–''ग'' पर दर्षाए गए प्रकरणों में पांच वर्ष के बाद 10 प्रतिषत की दर से बढ़ौतरी के बाद देय किराया तथा अंकेक्षण अवधि में वसूल किए गए किराये, के अन्तर के कारण कम मांग की गई किराया राषि प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्षाई गई है। इस कम मांग की गई किराया राषि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम मांग की गई किराया राषि की मांग की जाए। अंकेक्षण अवधि से पूर्व की अवधि के इस प्रकार के सभी मामलों में विभागीय जाँच करके कम वसूली की गई किराया की राषियों की सम्बन्धित से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

6-2 n|dku uEcj 56 d| vkcVu ckj| %&

18.01.2007 को दुकान क्रमांक 56 को ₹600/—प्रतिमास की दर से श्री बाबू राम को आबंटित किया गया। इस आबंटन में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई :—

6-2-1 n|dku dk de fdjk;| ij vkcfVr djuk %&

पूर्व में उक्त दुकान श्री बाबू राम के लड़के मोहेन्द्र के पास थी तथा इसका किराया ₹1100/— प्रतिमास था। अतः मोहेन्द्र सिंह द्वारा दुकान छोड़ने पर इसको कम किराये पर आबंटित करने का ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए।

6-2-2 vkjf{kr eY; fu/kkfjr u djuk %&

दुकान की निलामी पर दुकान का कोई आरक्षित मुल्य निर्धारित नहीं किया गया था। यदि इसका आरक्षित मुल्य, बाजार दर के अनुसार एवं पूर्व किराए के दृष्टिगत निर्धारित किया गया होता तो संभवता बोली दाताओं द्वारा इसके विरूद्ध अधिक बोली लगाई जाती। अतः बिना आरक्षण मुल्य के दुकान आबंटन का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसके किराये का पुनः निर्धारण करवाया जाए तथा निर्धारित किराया अधिक आंके जाने की स्थिति में कम किराये पर आबंटन के कारण हुई हानि की विभागीय गणना करके सम्बन्धित से इसकी वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

6-3 fdjk;k olyh dk lEcfU/kr [kkrk e| ntl u djuk %&

स्टालों के पट्टा धारकों से प्राप्त किराये के मांग व वसूली रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि किराये की निम्न राषियां सम्बन्धित खातों में दर्ज नहीं की गई थी। अतः इन राषियों को किराया मांग व वसूली रजिस्टर में दर्ज किया जाए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

frfFk	ikfIr jlhn l[;k	iêk/kkjd dk uke	jkf'k	LVky Øekd
01.03.2008	29/9	मदन लाल	1000	17
19.03.2008	48/9	वजीर राम	330	9
27.03.2008	10/11	राजेन्द्र सिंह	275	28/11
31.03.2008	22/11	मदन लाल	1300	22/11
15.01.2009	50/20	राजेन्द्र सिंह	275	50/20

6-4 iêk/kkjd dk vuqfpr ykHk %&

श्री खेम चन्द (दुकान क्रमांक 31 ⁄ 14) से जी–8 संख्या 45 ⁄ 8, दिनांक 29.01.2008 के द्वारा ₹1100 ⁄ –की राषि प्राप्त की गई। मांग व वसूली रजिस्टर में इस राषि का इन्द्राज जनवरी, 2008 में किया गया जनवरी, 2009 में इसी वसूली के पुनः इन्द्राज करके किराये की देय राषि में से कम कर दिया गया। अतः ₹1100 ⁄ –की रषि का पट्टाधारक को अनुचित लाभ पंहुचाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राषि की मांग पुनः उठाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

6-5 xgdj dk de nj ls fu/kkj.k %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृहकर की मांग 7½ प्रतिषत की दर से निर्धारित की गई थी जबकि निदेषक, शहरी विकास के पत्र संख्याः UD-H(C)(10)-7/98-II, दिनांक 17.11.2003 के द्वारा जारी निर्देषों के अन्तर्गत इसे 2006–2007 तक 12½ प्रतिषत के स्तर पर लाना था लेकिन नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त पत्रानुसार गृहकर की दर में बढ़ौतरी नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः नगर पंचायत को परामर्ष दिया जाता है कि गृहकर की दर में उपरोक्त परामर्ष अनुसार बढ़ौतरी की जाए ताकि आय में बढ़ौतरी के परिणामस्वरूप विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

6-6 eksckby Vkoj 'kqYd jftLVj dk vuqj{k.k u djuk %&

अंकेक्षण को मौखिक तौर पर स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में एयरटैल व आईडिया कम्पनियों के दो मोबाईल टावर स्थापित किए गए हैं लेकिन इनकी स्थापना से सम्बन्धित रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। परिणामस्वरूप देय शुल्क व वसूली की पुष्टि नहीं हो सकी। परामर्ष दिया जाता है कि इनकी स्थापना से सम्बन्धित रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाए जिसमें स्थापना की तिथि, देय शुल्क तथा वसूली आदि का पूर्ण विवरण दर्ज हो। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

6-7 LVSEi M;Vh

foØ; MhM miyC/k u djokuk %&

29.03.2008 को संख्याः 20/11 के द्वारा ₹154/– की राषि जमीन की बिक्री पर स्टैम्प डयूटी के फलस्वरूप प्राप्त की गई लेकिन इसके विरूद्ध विक्रय डीड की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई परिणामस्वरूप चार्ज की गई स्टैम्प डयूटी की पुष्टि नहीं हो सकी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

6-8 V.Mj Qke Hk.Mkj jftLVj dk vuj{k.k u djuk %&

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि टैण्डर फार्म के भण्डार रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है जिसके आभाव में इस आष्य की पुष्टि नहीं हो सकी कि कितने टैण्डर फार्म मुद्रित करवाये गए हैं, कितने बिक्री हुए तथा कितने शेष हैं। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित कार्रवाई अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

6-9 vukifÙk Ikek.k i= 'kYd dh de olyh djuk %&

निम्न प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क की कम वसूली की गई है। कम वसूली का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस राषि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

frfFk	n; jfk'k	olyh	de olyh	ftldk Noc tkjh gvk	fooj.k
02.02.10	300	150	150	देवराज पाठक	बिजली पानी व सीवरेज
11.02.10	100	–	100	चमन लाल	सीवरेज कनैक्षन

6-10 'kjkc 'kYd %&

निम्नलिखित राषियां आबकारी एवं कराधान विभाग से शराब शुल्क के रूप में प्राप्त हुई लेकिन यह राषियां/शुल्क किस वर्ष से सम्बन्धित थी व कितनी बोतलें शराब की बिक्री थी, का कोई विवरण अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में देय शुल्क तथा सही वसूली की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः आपेक्षित विवरण सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

frfFk	ikIr jkf'k	th&8 jlhn l[;k
28.03.2008	49,537.00	12/11
27.01.2009	93,724.00	24/9

6-11 fctyh 'kYd %&

सरकार द्वारा पालिका क्षेत्र में बिजली की खपत पर 1 पैसा प्रति युनिट की दर से बिजली शुल्क अधिरोपित किया गया है तथा यह शुल्क बिजली बोर्ड द्वारा सम्बन्धित पालिका को भुगतान करना होता है। अंकेक्षण अवधि के लिए इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में देय शुल्क तथा प्राप्त शुल्क की पुष्टि नहीं हो सकी। इस सन्दर्भ में पूर्ण विवरण तैयार किया जाए तथा जिस अवधि का देय शुल्क प्राप्त न हुआ हो का प्रकरण बिजली बोर्ड से उठाया जाए व इस सन्दर्भ में की गई अन्तिम कार्रवाई आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

6-12 olyh dk tek u djokuk %&

रसीद संख्याः 11/36, दिनांक 02.02.10 के द्वारा ₹150/–की राषि प्राप्त की गई थी लेकिन यह राषि न तो रोकड़ बही में दर्ज की गई थी तथा न ही बैंक में जमा करवाई गई थी। अतः इस राषि के दुरूपयोग की आषंका से इन्कार नही किया जा सकता। इस प्रकरण की जाँच की जाए तथा सम्बन्धित से राषि वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

7 fuek.k dk;

n; dVkfr;ks ds fcuk Hkqxrku djus ds dkj.k jkf'k ₹5]482@&dk vf/kd Hkqxrku djuk %&

वाऊचर संख्याः 14(1) माह 06/2009 द्वारा ₹38,206/–की राषि का भुगतान श्री खलियां राम ठेकेदार को निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए किया गया। लागत में से निम्न कटौतियों के बाद भुगतान हेतु देय राषि ₹32,724/–बनती थी लेकिन इन कटौतियों की वसूली के बिना भुगतान कर दिया गया परिणामस्वरूप ₹5,482/–का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राषियां सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दर्षाई जाए।

प्रतिभूति राषि	3821
आयकर (879 + 171)	896
बिक्री कर	765
	5482

7-1

Ø0	ekl	ok0 l0	fuek.k dk; dk uke	fuek.k	ikôyu	Bdnkj dk

l0				dk;l dk eY;	jkf'k	uke
1	06/07	14(1)	Provision for railing on stairs to linter	74429	92326	रूलिया राम
2	06/07	14(11)	S/r of Drain in Bazzar Arki	49735	52353	रूलिया राम
3	06/07	15(1)	S/R of Drain	6435	9076	राहुल
4	06/07	15(11)	C/o Retaining Wall on sheelu Road	69120	70691	राहुल
5	06/07	16	C/o C.C.Path from Goushalla	129996	148944	नरेष
6	06/07	17	C/o Path Drain in ward no. 6	22858	24739	माधो राम

उपरोक्त वाऊचरों द्वारा माह 06/07 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए किए गए भुगतान का अंकेक्षण करने पर निम्न अनियमितताएं पाई गई :–

7-1-1 इन निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता से प्राप्त की गई थी लेकिन उपरोक्त अधिकारी किन नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति देने में सक्षम थे अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया परिणामस्वरूप इसकी औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। उपरोक्त अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति की सक्षमता नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट की जाए अन्यथा बिना सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति से निर्माण कार्य के निष्पादन का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

7-1-2 V.Mj ukfVl miyC/k u djokuk %&

इन निर्माण कार्यों के विरूद्ध टैण्डर नोटिस अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप टैण्डर आमन्त्रण प्रक्रिया की पुष्टि नहीं हो सकी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

7-2 निम्नलिखित राषियां जिला कल्याण अधिकारी सोलन से प्रत्येक के आगे दर्षाए गए निर्माण कार्य हेतु अनुदान के रूप में प्राप्त हुई तथा इनके विरूद्ध प्रत्येक के आगे दर्षाई राषियां व्यय की गई।

Øe l[;k	frfFk	jkf'k	fuek.k dk;l dk uke

1	20.12.2010	99,500	C/o Gali at Jollang Mohalla wrard no. 2 under Harijan Basti Sudhar Scheme.
2	20.12.2010	97,500	C/o Gali at Gungori Mohella Ward no. 2
3	20.12.2010	1,00,000	C/o Gali at Bara Ward no. 2

<u>0;; jkf'k</u>

Ø0 l0	eLVjksy etnwjh	lheUV dk eqY;	jsr dk eqY;	ctjh dk eqY;	ctjh dk eqY;	dqy 0;;	jksdM+ cgh esa n'kkZ;k 0;;		
							frfFk	ok0 l0	jkf'k
1	6170 20930	23580 5610	11407	9738	18360	99875	05.03.10	94(ii)	49750
2	19110	39750	10217	17475	13209	99761	05.03.10	94(1)	48750
3	2070 16330	13575 27150 6787	9321	20187	5040	100460	05.03.10	94(iii)	50,000

इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

7-2-1 इस अनुदान हेतु जोगेन्द्र सैन्ट्रल को–आप्रेटिव बैंक में प्रधान नगर पंचायत के पदनाम से खाता संख्याः 9831 खोला गया तथा प्रधान द्वारा ही इसके वाऊचर पारित किए गए तथा बैंक से निकासी की गई जबकि बैंक खाता सचिव नगर पंचायत के पद से खोला जाना था। सचिव द्वारा वाऊचर पारित करके बैंक से निकासी संयुक्त रूप से प्रधान व सचिव के हस्ताक्षर से की जानी अपेक्षित थी। प्रधान के पद नाम से खाता खोलने का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जाए। वाऊचरों को सचिव नगर पंचायत से पारित करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

7-2-2 उपरोक्त व्यय के विरूद्ध 04.03.2010 को क्रमषः ₹49,750/– ₹48,750/– व ₹50,000/– की राषि प्रधान द्वारा बैंक खाते में से निकाली गई लेकिन व्यय के वाऊचरों के विरूद्ध किस तरह भुगतान किया गया का कोई विवरण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया जिसके आभाव में इन निकासियों के भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी जबकि मस्टररोल के भुगतानों को छोड़ कर

शेष सामान की आपूर्ति क्रय के विरूद्ध भुगतान बैंक चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त भुगतान चैक द्वारा न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त निकासी में से किस–किस को कितना भुगतान किया गया था का समस्त विवरण तैयार करके वास्तविक प्राप्ति रसीदों सहित आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाए।

7-2-3 इन निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार नहीं किया गए व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

7-3 foyEc l lEiUu fd, x, dk;l d fy, n; n.M jkf'k dh olyh u djuk %&

निम्न प्रकरणों में निर्माण कार्यों को ठेकेदारों द्वारा निर्धारित तिथि की अपेक्षा विलम्ब से पूर्ण किया गया। आबंटन पत्र की शर्तों के अनुसार अगर ठेकेदार निर्धारित अवधि में कार्य समाप्त/पूर्ण नहीं करता है तो ठेकेदार से विलम्ब से पूर्ण किए गए कार्य के लिए दण्ड वसूल करना आपेक्षित था जो कि नहीं किया गया जिसका औचित्य आबंटन पत्र की शर्तों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए अन्यथा प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्षाई गई देय विलम्ब दण्ड राषि सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

Month	Vr. No.	Value of work done	Date of award	…. Unit	Date of Completion	Penality of Pending work	Amount of penality not realised	MB No.	…. Of countroller and work
06/07	14(i)	74429	22.11.06	3 month	16.05.07 (only date of record entry recorded)	₹50 per day maximum 500	500	06/06-70	Rulia Ram provision of railing in stairs to cutu Mahadev
03/09	127(i)	54197	20.11.08	45 days	20.01.09	1% of 52305 per day maximum 10% (delay 1 day)	523	01/07-2527	Kamlesh Sharma prepare of road of damaged road RD-165-220
03/09	127(ii)	56917	20.11.08	45 days	20.01.09	1% of 52305 per day maximum 10% (delay 1 day)	523	01/07-23-25	Kamlesh Sharma prepare of road of damaged road RD-110-165
03/09	133(i)	56298	20.11.08	45 days	20.01.09	1% of 52305 per day maximum 10% (delay 1 day)	523	01/07-30-31	Gautam Kumar Repair of Dadly damaged road RD-0-55
03/09	133(ii)	56592	20.11.08	45 days	20.01.09	1% of 52305 per day maximum 10% (delay 1 day)	523	01/07-32-33	Gautam Kumar Repair of Dadly damaged road RD-55-110

8 0;;

vf/kd Hkqxrku %&

निम्नलिखित प्रकरणों में देय राषि से अधिक राषि का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्षाई गई राषि का अधिक भुगतान हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

ekl	ok0l0	jkf'k	vkdf{kr x.kuk vuqlkj ns; jkf'k	vf/kd Hkqxrku	ftldks Hkqxrku fd;k x;k
03/2009	123	1442	1422	20	मै0 अंगीरा ट्रेडर्ज
03/2010	99 (1 to Viii)	8686	8664	22	मैं0 गोयल ट्रेडर्ज
03/2010	107 (8)	464	440	24	नीम चन्द
03/2010	107 (9)	1606	1541	65	सुषील कुमार
				₹131-00	

8-1 de fudklh ds fo:) vf/kd dk Hkqxrku %&

मास 03/2009 के वाऊचर संख्याः 120(IV) द्वारा ₹54,847/—की राषि का अहरण कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु किया गया जबकि वाऊचर की कुल देय राषि ₹57,847/—थी तथा Aquitaine roll में भी इन कर्मचारियों द्वारा ₹57,847/—की राषि प्राप्त की गई थीं (57,847 – 54,847) शेष ₹3000/—की राषि कहां से भुगतान की गई का कोई विवरण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कम निकासी के विरूद्ध ₹3000/—के अधिक भुगतान का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए।

8-2 de ikfjr fd, x, 0;; ds fo:) vf/kd fudklh o Hkqxrku %&

निम्नलिखित वाऊचरों द्वारा पारित राषि से अधिक राषि का आहरण व भुगतान का किया गया। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पारित राषि से अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली सम्बन्धित से करने के उपरान्त अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

ekl	okÅpj la[;k	jkf'k	ikfjr jkf'k	vUrj
03/2009	127 व 128	138428	138255	173
03/2010	107 (i to xiv)	225671	225271	400

8-3 vkokl h; nj Hkk"k d fcy dh jkf'k dk vf/kd Hkxrku djuk %&

वाऊचर संख्याः 20(ii) माह 06/2007 के द्वारा ₹1,114/–की राषि का भुगतान आवासीय दूरभाष 222150 के बिल के लिए किया गया। इसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :–

8-3-1 l{ke ikf/kdkjh dh Lohdfr d fcuk nj Hkk"k l fo/kk inku djuk %&

यह टैलीफोन सचिव के आवास में स्थापित किया गया था जबकि उस समय सचिव पद का कार्यभार श्री केषव कुमार कोहली, नायब तहसीलदार के पास था। अतः अतिरिक्त कार्य प्रभार होने के परिणामस्वरूप आवास में दूरभाष सुविधा प्रदान करने की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त वर्तमान में सचिव पद का कार्यभार कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणू के पास है। अतः इस दूरभाष को उपरोक्त आवास से वापिस/ Disconnect करवा कर इसके विरूद्ध जमा प्रतिभूति राषि वापिस ली जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

8-3-2 निदेषक शहरी विकास के पत्र संख्याः ULB-H(A)(7)-1/87-9237-9284, दिनांक 24.06.2010 के द्वारा दूरभाष के बिल पर किए जाने वाले व्यय की सीमा ₹500/–प्रति मास निर्धारित की गई थी परिणामस्वरूप पालिका निधि से ₹1000/–देय थे जबकि भुगतान ₹1,114/–का किया गया परिणामस्वरूप ₹114/–की राषि निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राषि की वसूल दोषी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

8-4 0;; okÅpjk dk ikfjr u djokuk %&

निम्नलिखित वाऊचर सक्षम प्राधिकारी से पारित नहीं करवाये गए थे जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा आपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

ekl	okÅpj l[;k	jkf'k	
06/2007	20(16)	489	
06/2007	20(17)	489	
06/2007	20(18)	155	
03/2009	138(V)	25755	
03/2010	99(8)	15	फिनाईल भण्डार इन्द्राज भी नहीं दर्षाए

8-5 vfrfjDr iHkkj ij ekckby njHkk"k HkÙk dk Hkxrku djuk %&

आवासीय दूरभाष/मोबाईल के बिलों का भुगतान निम्न वाऊचरों द्वारा उनके आगे दर्षाए गए अधिकारियों को किया गया। ये अधिकारी दूसरे विभाग से सम्बन्धित थे तथा इन्हें सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अतिरिक्त कार्यभार के दृष्टिगत अवासीय/मोबाईल दूरभाष भत्ते के भुगतान को नियमों के अनुसार स्पष्ट किया जाए अन्यथा भुगतान की गई राषि की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जाए। इस प्रकार के अन्य मामलों की जाँच विभागीय तौर पर करने के उपरान्त अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिष्चित किया जाए।

ekl	okÅpj l[;k	jkf'k	vf/kdkjh dk uke	vof/k
03/2009	126(V)	220	एस0पी0 शर्मा	18.02.2009 से 28.02.2009
03/2009	139	600	बलदेव शर्मा	01.03.2009 से 31.03.2009
03/2010	92(VI)	1800	बलदेव शर्मा	01.12.2009 से 28.02.2010
03/2010	105(VIII)	600	बलदेव शर्मा	01.03.2010 से 31.03.2010

8-6 fctyh fcyk e pktl fd, x, vfrfjDr iHkkj dk vkfpR; Li"V u djuk %&

निम्न विवरणानुसार भुगतान किए गए बिजली के बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन बिलों के रख–रखाव चार्जिज/सन्डरी चार्जिज़ की राषियों का भुगतान किया गया है। इन मदों के विरूद्ध भुगतान की गई राषि का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

ekl	okÅpj l[;k	jkf'k	**Maintenance Charges**	**Sundry Charges**	**Meter No.**
03/2009	129(iii)	9449	2708	–	AH-119
03/2009	129(ii)	6176	2708	–	AH-1151
03/2010	95(ii)	29704	2408	(16288 + 500)	AH-1151
03/2010	95(iii)	15351	2408	(6288 + 500)	AH-119

8-7 fcyk dk lR;kiu o ikfjr fd, fcuk Hkxrku djuk %&

मास 03/2010 के वाऊचर संख्याः 96(2) के द्वारा ₹3000/–की राषि कनिष्ठ अभियन्ता को टिप्पर की पासिंग के लिए अग्रिम भुगतान की गई। इसके विरूद्ध समायोजन के लिए संलग्न बिल, सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित एवं पारित नहीं करवाये गए थे जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालाना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

8-8 odkyr 'kYd dk vfrfjDr Hkxrku djuk %&

वाऊचर संख्याः 106(1) माह 03/2010 के द्वारा ₹3,128/–की राषि का भुगतान श्री देस राज भाटिया को सुधा बनाम नगर पंचायत के मुकदमें की पैरवी के लिए किया गया इसमें ₹128/–स्टैम्प डयूटी व ₹3000/–वकालत शुल्क की शामिल थी जबकि उपरोक्त वकील को ₹450/–प्रतिमास की दर से नगर पंचायत के Legal Advisor के फलस्वरूप भुगतान किया जा रहे है। अतः इन्हें अतिरिक्त भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

8-9 gkbMªkfyd fVIij d Ø; d fy, jkf'k ₹7]05]158@& dk vfu;fer Hkxrku djuk %&

निम्न वाऊचरों द्वारा राषि ₹7,05,158 का भुगतान हाईड्रोलिक टिप्पर के क्रय के लिए किया गया जिसमें निम्न आपत्तियां पाई गई :–

Ø0 l0	frfFk	okÅpj l[;k	jkf'k	fooj.k
1	22.12.2009	65(1)	3,00,000	टिप्पर के मुल्य के विरूद्ध अग्रिम
2	12.03.2010	–	3,92,883	टिप्पर की शेष राषि
3	–	–	1,000	बैंक ड्राफ्ट कमीषन
4	–	–	9,285	इन्ष्योरैन्स
5	–	–	30	बैंक ड्राफ्ट कमीषन
6	–	–	1,000	पैट्रोल
7	–	–	60	टैक्स सैस
8	–	–	400	अस्थाई रजिस्ट्रेष्न शुल्क
9	–	–	500	अस्थाई ड्राईवर को भुगतान
			₹7]05]158	

jV dUVªDV dh izfr miyC/k u djokuk %&

उपरोक्त टिप्पर मैं0 स्वामी आटोकेयर प्राईवेट लिमिटेड जिरकपुर से क्रय किया गया तथा यह Eicher कम्पनी का था। इसका D.G.S. & D Rate Contract बताया गया लेकिन Rate Contract की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई परिणामस्वरूप बिल मे चार्ज की गई दर तथा तय शर्तों की पुष्टि नहीं हो सकी। आपेक्षित Rate Contract की प्रति प्राप्त की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

8-9-1 fcuk dksVs'ku vkefU=r fd, dk;Z djokuk %&

उपरोक्त राषि में ₹1,06,875 ⁄ —की राषि टिप्पर की Body’s Fabrication से सम्बन्धित थी जबकि यह कार्य Rate Contract का भाग नहीं था। अतः इस कार्य के लिए नगर पंचायत को खुले बाजार से टैण्डर ⁄ कुटेषन आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। न्यूनतम बाजार प्रतिस्पर्धा दर का लाभ उठाया जा सकता था। अतः उपरोक्त फर्म से सिंगल निविदा के आधार से Fabrication कार्य करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेकर इसे नियमित करवाया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

8-9-2 fcyksa dk Hkqxrku lR;kiu o ikfjr vkns'k ds fcuk djuk %&

इस व्यय के विरूद्ध कोई भी बिल सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित व पारित नहीं करवाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा आपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

8-9-3 Hk.Mkj bUnzkt u n'kkZuk %&

क्रम संख्याः 6 के क्रय के विरूद्ध भण्डार इन्द्राज अंकेक्षण में नहीं दर्षाए गए जिसके अभाव मे इस क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित भण्डार इन्द्राज आगामी अंकेक्षण में दर्षाए जाऐं।

8-9-4 vf/kd`r foØsrk dk izek.k i= u n'kkZuk %&

उपरोक्त फर्म जिससे यह क्रय किया गया था का अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस सम्बन्ध में फर्म से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

8-9-5 Lohd`r jkf'k ls vf/kd O;; %&

उपरोक्त क्रय हेतु निदेषक, शहरी विकास से ₹5,50,000 ⁄ —प्राप्त व स्वीकृत हुए थे जबकि कुल व्यय ₹7,05,158 ⁄ —हुआ। अतः ₹1,55,158 ⁄ —की राषि अधिक व्यय हुई जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

8-10 lQkbZ Bsdsnkjksa dks Hkqxrku djus ckjs %&

ekl	okÅpj la[;k	jkf'k	ftldks Hkqxrku fd;k
03 ⁄ 2010	92(iii)	3200	जीत राम

03/2010	92(iii)	3200	निषा देवी
03/2010	107(iii)	2987	जीत राम
03/2010	107(iii)	2987	निषा देवी

उपरोक्त वाऊचरों द्वारा माह 03/10 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों को किए गए भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई :–

fcuk dksVs'ku ds Bsdsnkj dk vkosnu djuk %&

उपरोक्त भुगतान के विरूद्ध कुटेषन/टैण्डर आमन्त्रित नहीं किए गए जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बिना कुटेषन के कार्य को ठेके पर देने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

8-10-1 mfpr fcy ds fcuk Hkqxrku %&

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि सफाई के ठेकेदारों का बिल स्थापना बिल पर बनाया व पारित करवाया जा रहा है जो कि उचित नहीं है जबकि बिल को ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत करना होता है। इसे सत्यापित करने के बाद ही पारित करना होता है। भविष्य में उपरोक्त सुझावानसुार बिल प्राप्त किया जाए तथा सत्यापित करके तदानुसार पारित किया जाए।

9 LFkkiuk %&

osru 'kh"kZ esa ₹35]049@&dh jkf'k dk ctV izko/kku ls vf/kd O;; djuk %&

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2009–10 में वेतन के भुगतान हेतु ₹23,76,902/–का बजट प्रावधान था जबकि 2009–10 में वेतन पर ₹24,11,951/–की राषि व्यय की गई परिणामस्वरूप बजट प्रावधान से वेतन व्यय ₹35,049/–बढ़ गया। बढ़े हुए व्यय को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति नहीं करवाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बजट प्रावधान से अधिक व्यय की गई राषि की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

9-1 la'kksf/kr osru ekuksa esa xyr osru fu/kkZj.k ds dkj.k ₹0-21 yk[k dh jkf'k dk vf/kd Hkqxrku

श्रीमति पूनम देवी, सफाई कर्मचारी का मूल वेतन 01.01.2006 को ₹4,140/–था तथा इससे पूर्व इन्हें 32 वर्ष के सेवाकाल के बाद प्रवीणता/A.C.P योजना के अन्तर्गत वेतन वृद्धि दी गई थी जिसके अनुसार कर्मचारी का संषोधित वेतनमानों में 01.01.2006 से निम्न विवरणानुसार

वेतन का निर्धारण होना चाहिए था लेकिन कर्मचारी का वेतन नगर परिषद द्वारा अनुचित रूप से निर्धारित किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 01.01.2006 से 31.03.2010 तक निम्न विवरणानुसार राषि ₹21,291/–की अधिक भुगतान की वसूली की जाए। अधिक भुगतान की गई राषि ₹21,291/–का विवरण परिषिष्ट–''ङ'' में दिया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली करना सुनिष्चित करें इसके अतिरिक्त 31.03.10 के बाद किए गए अधिक भुगतान की गणना विभागिय तौर पर करने के उपरान्त वसूली की जाए।

frfFk	01-01-06 l vd{k.k x.kuk vulkj l'kkf/kr orueku e n; ey oru	01-01-06 l n; xM i	dy ;kx	uxj ipk;r }kjk fu/kkfjr oru		
				ey oru	xM i	dy
01.01.06	7710	1400	9110	7710	1300	9010
01.04.06	7990	1400	9390	7980	1300	9280
01.04.07	8280	1400	9680	8260	1400	9660
01.04.07	8280	1400	9680	8550	1650	10200
01.04.08	8570	1400	9970	8860	1650	10510
01.04.09	8870	1400	10270	9180	1650	10830

9-2 श्री राजेन्द्र कुमार सफाई कर्मचारी का 01.01.2006 को मूल वेतन ₹3,120/–था जिसके अनुसार इनका वेतन अंकेक्षण गणना अनुसार निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना था लेकिन सेवा पंजिका की जाँच पड़ताल में पाया गया कि इनका संषोधित वेतन मान में वेतन निर्धारण अलग प्रकार से किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अंकेक्षण गणना अनुसार निर्धारण वेतन व नगर पंचायत द्वारा दत वेतन में अन्तर के कारण अधिक भुगतान की विभागीय गणना करके सम्बन्धित कर्मचारी से इसकी वसूली की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

frfFk	vd{k.k x.kuk vulkj l'kkf/kr oru eku e fu/kkj.k gku okyk ey oru	Grade Pay	dy	fu/kkfjr oru		
				ey oru	Grade Pay	dy
01.01.2006	5810	1300	7110	5810	1300	7110

01.06.2006	6030	1300	7330	6030	1300	7330
01.06.2007	6250	1300	7550	6250	1300	7550
01.06.2007	6250	1300	7550	6480	1300	7780
01.06.2008	6480	1300	7780	6720	1300	8020
01.06.2008	6720	1400	8120	6960	1400	8360
01.06.2009	6970	1400	8370	7211	1400	8611

9-3 ,0lh0ih0,l0 d rgr fcuk Lohdfr d oru of) dk Hkxrku djuk %&

श्रीमति रंजना देवी, सफाई कर्मचारी की सेवायें 01.04.1998 से नियमित हुई थी तथा ए0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत देय वेतन वृद्धि जो कि 8 वर्ष के बाद 01.04.2006 से देय थी प्रस्ताव संख्याः 306, दिनांक 30.04.2007 के द्वारा रोक दी गई लेकिन 01.01.2006 से संषोधित वेतन मान में इसे 01.04.2007 से प्रदान कर दिया गया लेकिन इसकी स्वीकृति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई। अतः अपेक्षित स्वीकृति उपलब्ध करवाई जाए।

9-4 xyr oru fu/kkj.k d QyLo:i ₹1]470@&dk vf/kd Hkxrku djuk %&

श्री सुषील कुमार जे0ई0 को 01.01.2010 से आगे (10300 – 34800 + 3800 जी0पी0) के वेतन मान में 10790 + 3800 जी0पी0 के अनुसार भुगतान किया गया। इनकी नियुक्ति कोन्ट्रैक्ट आधार पर की गई थी जिसके अनुसार संषोधित वेतनमान में इन्हें वेतनमान का मूल व उस पर ग्रेड पे के अनुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः 10790 + 3800 की दर से भुगतान करने का औचित्य नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए अन्यथा निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली की जाए तथा इसके बाद व पूर्व की अवधि में इस प्रकार के अधिक भुगतान की विभागीय जाँच करके इसकी वसूली भी सुनिष्चित की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

n; oru ifr ekl			Hkxrku oru ifr ekl			vf/kd Hkxrku	vof/k
Initial Pay	**Grade Pay**	**Total**	**Initial Pay**	**Grade Pay**	**Total**		
10300	3800	14100	10790	3800	14590	1470	01/10 से 03/10

10 iU'ku

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि 15.05.2003 के बाद नियमित/नियुक्त कर्मचारियों के अधिकतम वेतन का 17 प्रतिषत भाग पालिका निधि से पैन्षन व ग्रेच्यूटी निधि में हस्तान्तरित किया

जा रहा है जबकि 15.05.2003 के बाद नियमित/नियुक्त कर्मचारियों पर पैन्षन नियम लागू नहीं होते हैं। अतः इन कर्मचारियों के पक्ष में शेयर हस्तान्तिरित करने का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसके हस्तान्तरण को तुरन्त बन्द किया जाए तथा अधिक हस्तान्तरित की गई राषि की विभागीय गणना करके राषि पालिका निधि में जमा की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

10-1 iU'ku [kkrs ls jkf'k ₹3]227@&dk vfu;fer 0;; %&

वाऊचर संख्याः 137(1 से 3) माह 03/2009 के द्वारा ₹3,227/—की राषि मैं0 गोयल ट्रेडर्ज को भुगतान की गई यह राषि जोगेन्द्रा को—आप्रेटिव बैंक के खाता संख्याः 4647 से चैक संख्याः 97496 के द्वारा निकाली गई जबकि उपरोक्त खाते में केवल पैन्षन व ग्रेच्यूटी अंषदान ही जमा होता है। अतः इस खाते से निकासी का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह राषि पालिका निधि से निकाल कर उपरोक्त खाते में हस्तांतरित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

10-2 fudklh dk ysu nsu iU'ku dh jksdM cgh esa u n'kkZuk %&

समान्य भविष्य निधि की बचत खाते की पास बुकों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न राषियों का भुगतान कर्मचारियों को किया गया था। लेकिन यह लेन देन रोकड़ बही के द्वारा नहीं दर्षाया गया तथा न ही इसके विरूद्ध स्वीकृति व वास्तविक प्राप्ति रसीदें अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई परिणामस्वरूप इन भुगतानों की पुष्टि नहीं हो सकी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा आपेक्षित कार्यवाई तथा अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्षाए जाए। भविष्य में प्रत्येक लेन देन को रोकड़ बही के द्वारा किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

frfFk	pSd la[;k	jkf'k	ftlds [kkrs ls Hkqxrku gqvk	[kkrk la[;k
15.03.2010	327716	10,000	शषि कान्त	5011
15.03.2010	327708	25,000	मस्त राम	5018

11 okgu

VSDVj **HP-11-0888**

ट्रैक्टर की लॉग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि 25.11.2008 के बाद इसे प्रयोग में नहीं लाया गया। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर स्पष्ट किया गया कि ट्रैक्टर की हालत इतनी खराब थी कि इसे प्रयोग मे नहीं लाया जा सकता था जबकि इस सम्बन्ध में किसी तकनीकी प्राधिकारी से

जाँच नहीं करवाई गई कि यह वास्तव में उपयोग योग्य नहीं था। नगर पंचायत प्रषासन को चाहिए था कि इसकी किसी तकनीकी प्राधिकारी से जाँच करवाकर अगर उपरोक्त प्राधिकारी सत्यापित कर देता कि यह ट्रैक्टर अब उपयोग के आयोग्य है तो इसे कण्डम घोषित करके सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर इसकी निलामी की जाती। लेकिन नगर पंचायत प्रषासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। नगर पंचायत प्रषासन द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसकी तकनीकी अधिकारी से जाँच करवा कर अगर यह ठीक हो सकता हो तो इसे ठीक करवाया जाए अन्यथा इसे कण्डम घोषित करके इसकी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेकर निलामी की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

11-1 'k"k Mhty dk lR;kiu u djuk%&

25.11.2008 को लॉग बुक के अनुसार 22 लीटर डीजल टैंक में शेष था। इसका प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन किया जाए कि यह तेल अभी भी टैंकों में है अन्यथा इसकी सम्बन्धित से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

12 Hk.Mkj

Hk.Mkj ls tkjh lkeku dh ikofr;k¡ izkIr u djuk%&

भण्डार रजिस्टर से जारी सामान के विरूद्ध प्राप्तकर्त्ता से पावती के प्रमाण में प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर नहीं थे जिसके आभाव में जारी सामान की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। उदाहरण के लिए कुछ प्रकरणों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट–''घ'' पर दिया गया है। प्राप्तकर्त्ता से हस्ताक्षर न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन प्रकरणों तथा अन्य इस प्रकार के सभी प्रकरणों की विभागीय जाँच उपरान्त आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

13 y?kq vkifÙk foojf.kdk %& लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी की गई है। इन आपत्तियों के निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

14 fu"kd"kZ %& लेखाओं के रख–रखाव में सुधार व कड़े निरीक्षण की आवष्यकता है। नगर पंचायत प्रषासन को परामर्ष दिया जाता है कि वह गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष ध्यान दें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– ULB-H(C)(15)-14/86-लूज़ दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

izfrd`r %& 1- सचिव, नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

2- निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kk:½

ifjf'k"V&^v**

uxj iapk;r vdh] ftyk lksyu] fgekpy izns'k ds ys[kkvksa vof/k 04@2007 ls 03@2010 rd ds vads{k.k o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@2007 ls 03@2010 ds xr vads{k.k iSjksa dh fLFkfr %&

¼1½ vads{k.k izfrosnu vof/k 07@67 ls 01@70

1	पैरा 1	अनिर्णीत
2	पैरा 2	अनिर्णीत

¼2½ vads{k.k izfrosnu vof/k 02@70 ls 03@72

1	पैरा 4	अनिर्णीत

¼3½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@72 ls 03@77

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत

¼4½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@77 ls 03@81

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12	आंषिक रूप से अनिर्णीत
6	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 14(सी)	अनिर्णीत
11	पैरा 14(डी)	अनिर्णीत

12	पैरा 14(ई)	अनिर्णीत
13	पैरा 14(एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा 14(एच)	अनिर्णीत
15	पैरा 14(आई)	अनिर्णीत
16	पैरा 14(जे)	अनिर्णीत
17	पैरा 15	अनिर्णीत
18	पैरा 16	अनिर्णीत
19	पैरा 17	अनिर्णीत
20	पैरा 21	अनिर्णीत
21	पैरा 23	अनिर्णीत
22	पैरा 25(सी)	अनिर्णीत

¼5½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@82 ls 03@83

1	पैरा 9(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(सी)	अनिर्णीत

¼6½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@83 ls 03@87

1	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(ए)	अनिर्णीत

¼7½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@87 ls 03@89

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 16	अनिर्णीत
7	पैरा 17	अनिर्णीत

¼8½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@89 ls 03@94

1	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(iii)(जी)	अनिर्णीत

3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(iii)	अनिर्णीत
8	पैरा 11(i)(के)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(i)(के, एच)	अनिर्णीत
10	पैरा 11(ii)(के)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(iii)(के)	अनिर्णीत
12	पैरा 11(iv)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(iv)(के)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(iv)(के, एच)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(iv)(जी)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(iv)(जी, एच)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(iv)(ए, एन, जी)	अनिर्णीत
18	पैरा 11(v)	अनिर्णीत
19	पैरा 11(v)(के)	अनिर्णीत
20	पैरा 11(v)(के, एच)	अनिर्णीत
21	पैरा 11(v)(जी)	अनिर्णीत
22	पैरा 11(v)(जी, एच)	अनिर्णीत
23	पैरा 11(v)(ए, एन, जी)	अनिर्णीत
24	पैरा 11(vi)(के)	अनिर्णीत
25	पैरा 11(vi)(के, एच)	अनिर्णीत
26	पैरा 11(vii)	अनिर्णीत
27	पैरा 11(vii)(के)	अनिर्णीत
28	पैरा 11(vii)(के, एच)	अनिर्णीत
29	पैरा 11(vii)(जी)	अनिर्णीत
30	पैरा 11(vii)(जी, एच)	अनिर्णीत
31	पैरा 11(vii)(ए, एन, जी)	अनिर्णीत
32	पैरा 11(viii)	अनिर्णीत

33	पैरा 11(ix)	अनिर्णीत
34	पैरा 11(x)(के)	अनिर्णीत
35	पैरा 11(x)(के, एच)	अनिर्णीत
36	पैरा 11(xii)	अनिर्णीत
37	पैरा 11(xii)(के)	अनिर्णीत
38	पैरा 11(xii)(के, एच)	अनिर्णीत
39	पैरा 11(xii)(जी)	अनिर्णीत
40	पैरा 11(xii)(जी, एच)	अनिर्णीत
41	पैरा 11(xiii)(के)	अनिर्णीत
42	पैरा 11(xiii)(के, एच)	अनिर्णीत
43	पैरा 11(xiii)(जी)	अनिर्णीत
44	पैरा 11(xiv)	अनिर्णीत
45	पैरा 11(xv)(के)	अनिर्णीत
46	पैरा 11(xv)(के, एच)	अनिर्णीत
47	पैरा 11(xv)(जी)	अनिर्णीत
48	पैरा 11(xv)(जी, एच)	अनिर्णीत
49	पैरा 11(xv)(ए, एन, जी)	अनिर्णीत
50	पैरा 11(xv)(CH)	अनिर्णीत
51	पैरा 11(xv)(CHH)	अनिर्णीत
52	पैरा 11(xvi)(K)	अनिर्णीत
53	पैरा 11(xvi)(Kh)	अनिर्णीत
54	पैरा 11(xvi)(G)	अनिर्णीत
55	पैरा 11(xvii)	अनिर्णीत
56	पैरा 11(xviii)	अनिर्णीत
57	पैरा 11(xix)	अनिर्णीत
58	पैरा 11(xx)	अनिर्णीत
59	पैरा 11(xxi)(K)	अनिर्णीत
60	पैरा 11(xxi)(KH)	अनिर्णीत
61	पैरा 11(xxi)(G)	अनिर्णीत
62	पैरा 11(xxi)(GH)	अनिर्णीत

63	पैरा 11(xxi)(AHG)	अनिर्णीत
64	पैरा 11(xxi)(CH)	अनिर्णीत
65	पैरा 11(xxi)(CHH)	अनिर्णीत
66	पैरा 11(xxii)(K)	अनिर्णीत
67	पैरा 11(xxii)(KH)	अनिर्णीत
68	पैरा 12(1)(K)	अनिर्णीत
69	पैरा 12(1)(KH)	अनिर्णीत
70	पैरा 12(1)(G)	अनिर्णीत
71	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत
72	पैरा 12(iii)	अनिर्णीत
73	पैरा 12(iv)	अनिर्णीत
74	पैरा 12(v)	अनिर्णीत
75	पैरा 12(vi)	अनिर्णीत
76	पैरा 13	अनिर्णीत
77	पैरा 14	अनिर्णीत
78	पैरा 15(i)	अनिर्णीत
79	पैरा 15(iv)	अनिर्णीत
80	पैरा 15(v)	अनिर्णीत
81	पैरा 15(vi)	अनिर्णीत
82	पैरा 16(i)	अनिर्णीत
83	पैरा 16(iii)(K)	अनिर्णीत
84	पैरा 16(iii)(KH)	अनिर्णीत
85	पैरा 16(iii)(G)	अनिर्णीत
86	पैरा 17(i)	अनिर्णीत
87	पैरा 17(ii)(Kh)	अनिर्णीत
88	पैरा 16(ii)(G)	अनिर्णीत
89	पैरा 18	अनिर्णीत
90	पैरा 18(k)	अनिर्णीत
91	पैरा 18(kh)	अनिर्णीत
92	पैरा 19	अनिर्णीत

93	पैरा 20(1)	अनिर्णीत
94	पैरा 20(ii)(k)	अनिर्णीत
95	पैरा 20(ii)(kh)	अनिर्णीत
96	पैरा 20(ii)(G)	अनिर्णीत
97	पैरा 20(iii)	अनिर्णीत
98	पैरा 20(iv)	अनिर्णीत
99	पैरा 20(v)(k)	अनिर्णीत
100	पैरा 20(v)(kh)	अनिर्णीत
101	पैरा 20(vi)	अनिर्णीत
102	पैरा 20(vii)	अनिर्णीत
103	पैरा 20(viii)	अनिर्णीत
104	पैरा 20(ix)	अनिर्णीत
105	पैरा 20(ix)(k)	अनिर्णीत
106	पैरा 20(ix)(kh)	अनिर्णीत

¼9½ vd{k.k ifrosnu vof/k 04@94 ls 03@97

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(kh)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(k)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(kh)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(G)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(Gh)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(ANG)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(ch)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(chh)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(j)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(jh)	अनिर्णीत
14	पैरा 7(ch)	अनिर्णीत

15	पैरा 8(k)	अनिर्णीत
16	पैरा 8(kh)	अनिर्णीत
17	पैरा 9	आंषिक तौर पर अनिर्णीत
18	पैरा 10(kh)(i)	अनिर्णीत
19	पैरा 10(kh)(ii)	अनिर्णीत
20	पैरा 10(kh)(iii)	अनिर्णीत
21	पैरा 12	अनिर्णीत
22	पैरा 13	अनिर्णीत
23	पैरा 14	अनिर्णीत
24	पैरा 15(k)	अनिर्णीत
25	पैरा 7(k)	आंषिक तौर पर अनिर्णीत
26	पैरा 7(ANG)	अनिर्णीत
27	पैरा 15(kh)(i)	आंषिक तौर पर अनिर्णीत
28	पैरा 15(kh)(iii)	अनिर्णीत
29	पैरा 15(kh)(iv)	अनिर्णीत
30	पैरा 15(kh)(v)	अनिर्णीत
31	पैरा 15(kh)(vi)	अनिर्णीत
32	पैरा 15(kh)(vii)	अनिर्णीत
33	पैरा 16	अनिर्णीत
34	पैरा 17(k)(i)	अनिर्णीत
35	पैरा 17(k)(ii)	अनिर्णीत
36	पैरा 17(k)(iii)	अनिर्णीत
37	पैरा 17(k)(iv)	अनिर्णीत
38	पैरा 17(kh)(i)	अनिर्णीत
39	पैरा 17(kh)(ii)	अनिर्णीत
40	पैरा 17(kh)(iii)	अनिर्णीत
41	पैरा 17(kh)(iv)	अनिर्णीत
42	पैरा 17(g)(i)	अनिर्णीत
43	पैरा 17(g)(ii)	अनिर्णीत
44	पैरा 17(g)(iii)	अनिर्णीत

45	पैरा 17(gh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 17(gh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 17(gh)(iii)	अनिर्णीत
48	पैरा 17(gh)(iv)	अनिर्णीत
49	पैरा 17(ANG)(i)	अनिर्णीत
50	पैरा 17(ANG)(ii)	अनिर्णीत
51	पैरा 17(ANG)(iii)	अनिर्णीत
52	पैरा 17(ANG)(iv)	अनिर्णीत
53	पैरा 17(ANG)(v)	अनिर्णीत
54	पैरा 17(ANG)(vi)	अनिर्णीत
55	पैरा 17(ch)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 17(ch)(ii)	अनिर्णीत
57	पैरा 17(ch)(iii)	अनिर्णीत
58	पैरा 17(ch)(iv)	अनिर्णीत
59	पैरा 17(chh)(i)	अनिर्णीत
60	पैरा 17(chh)(ii)	अनिर्णीत
61	पैरा 21(k)	अनिर्णीत
62	पैरा 21(kh)	अनिर्णीत
63	पैरा 21(G)	अनिर्णीत
64	पैरा 21(Gh)	अनिर्णीत
65	पैरा 22	अनिर्णीत
66	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
67	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
68	पैरा 24(j)	अनिर्णीत
69	पैरा 24(yen)	अनिर्णीत
70	पैरा 25	अनिर्णीत
71	पैरा 26(iv)	अनिर्णीत
72	पैरा 26(v)	अनिर्णीत
73	पैरा 26(vi)	अनिर्णीत
74	पैरा 26(vii)	अनिर्णीत

75	पैरा 26(viii)	अनिर्णीत
76	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
77	पैरा 26(x)	अनिर्णीत
78	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
79	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
80	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
81	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत
82	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
83	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
84	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत
85	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
86	पैरा 26(x)	अनिर्णीत
87	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
88	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
89	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
90	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत
91	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
92	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
93	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत
94	पैरा 26(xix)	अनिर्णीत
95	पैरा 26(xx)	अनिर्णीत
96	पैरा 26(xxi)	अनिर्णीत
97	पैरा 26(xxiii)	अनिर्णीत
98	पैरा 26(xxiv)	अनिर्णीत
99	पैरा 28	अनिर्णीत

¼10½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@97 ls 03@2005

1	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(gh)(i)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(gh)(ii)	अनिर्णीत

4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10(i)	अनिर्णीत
9	पैरा 10(k)	अनिर्णीत
10	पैरा 10(kh)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
12	पैरा 11(k)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(kh)(i)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(kh)(ii)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(kh)(iii)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(kh)(iv)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(kh)(v)	अनिर्णीत
18	पैरा 11(kh)(vi)	अनिर्णीत
19	पैरा 11(kh)(vii)	अनिर्णीत
20	पैरा 11(kh)(viii)	अनिर्णीत
21	पैरा 11(kh)(ix)	अनिर्णीत
22	पैरा 11(kh)(x)	अनिर्णीत
23	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत
24	पैरा 11(kh)(xii)	अनिर्णीत
25	पैरा 11(kh)(xiii)	अनिर्णीत
26	पैरा 11(kh)(xiv)	अनिर्णीत
27	पैरा 11(kh)(xv)	अनिर्णीत
28	पैरा 11(kh)(xvi)	अनिर्णीत
29	पैरा 11(kh)(xvii)	अनिर्णीत
30	पैरा 11(kh)(xviii)	अनिर्णीत
31	पैरा 11(kh)(xix)	अनिर्णीत
32	पैरा 11(g)(i)	अनिर्णीत
33	पैरा 11(g)(ii)	अनिर्णीत

34	पैरा 11(chh)	अनिर्णीत
35	पैरा 11(ang)	अनिर्णीत
36	पैरा 11(ch)	अनिर्णीत
37	पैरा 12(i)	अनिर्णीत
38	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत
39	पैरा 13	अनिर्णीत
40	पैरा 14	अनिर्णीत
41	पैरा 15	अनिर्णीत
42	पैरा 16	अनिर्णीत
43	पैरा 17	अनिर्णीत
44	पैरा 18(k)	अनिर्णीत
45	पैरा 18(kh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 18(kh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 18(g)(i)	अनिर्णीत
48	पैरा 18(g)(ii)	अनिर्णीत
49	पैरा 18(gh)(i)&(ii)	अनिर्णीत
50	पैरा 18(ang)	अनिर्णीत
51	पैरा 18(ch)	अनिर्णीत
52	पैरा 18(chh)(i)	अनिर्णीत
53	पैरा 18(chh)(ii)	अनिर्णीत
54	पैरा 18(j)	अनिर्णीत
55	पैरा 18(j)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 18(nh)	अनिर्णीत
57	पैरा 18(t)(i)	अनिर्णीत
58	पैरा 18(t)(ii)	अनिर्णीत
59	पैरा 18(th)	अनिर्णीत
60	पैरा 18(dh)(i)	अनिर्णीत
61	पैरा 18(dh)(ii)	अनिर्णीत
62	पैरा 18(dh)(iii)	अनिर्णीत
63	पैरा 18(adn)(i)	अनिर्णीत

64	पैरा 18(adn)(ii)	अनिर्णीत
65	पैरा 18(adn)(iii)	अनिर्णीत
66	पैरा 18(anh)(i)	अनिर्णीत
67	पैरा 18(anh)(ii)	अनिर्णीत
68	पैरा 18(t)	अनिर्णीत
69	पैरा 18(n)	अनिर्णीत
70	पैरा 18(p)	अनिर्णीत
71	पैरा 18(ph)	अनिर्णीत
72	पैरा 18(b)	अनिर्णीत
73	पैरा 19(kh)	अनिर्णीत
74	पैरा 19(g)	अनिर्णीत
75	पैरा 19(gh)(i)	अनिर्णीत
76	पैरा 19(gh)(ii)	अनिर्णीत
77	पैरा 19(gh)(iii)	अनिर्णीत
78	पैरा 19(ang)	अनिर्णीत
79	पैरा 19(ch)	अनिर्णीत
80	पैरा 19(chh)(i)	अनिर्णीत
81	पैरा 19(chh)(ii)	अनिर्णीत
82	पैरा 19(chh)(iii)	अनिर्णीत
83	पैरा 19(chh)(iv)	अनिर्णीत
84	पैरा 19(j)(i)	अनिर्णीत
85	पैरा 19(j)(ii)	अनिर्णीत
86	पैरा 19(j)(iii)	अनिर्णीत
87	पैरा 19(jh)	अनिर्णीत
88	पैरा 19(jh)(ii)	अनिर्णीत
89	पैरा 19(jh)(iii)	अनिर्णीत
90	पैरा 20(k)	अनिर्णीत
91	पैरा 20(kh)	अनिर्णीत
92	पैरा 20(g)	अनिर्णीत
93	पैरा 20(gh)	अनिर्णीत

94	पैरा 20(ch)	अनिर्णीत
95	पैरा 20(ch)(i)	अनिर्णीत
96	पैरा 20(ch)(ii)	अनिर्णीत
97	पैरा 20(ch)(iii)	अनिर्णीत
98	पैरा 20(ch)(iv)	अनिर्णीत
99	पैरा 20(ch)(v)	अनिर्णीत
100	पैरा 20(ch)(vi)	अनिर्णीत
101	पैरा 20(ch)(vii)	अनिर्णीत
102	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
103	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
104	पैरा 22(kh)	अनिर्णीत
105	पैरा 22(g)	अनिर्णीत
106	पैरा 23(k)	अनिर्णीत
107	पैरा 23(kh)	अनिर्णीत
108	पैरा 23(g)	अनिर्णीत
109	पैरा 23(gh)(i)	अनिर्णीत
110	पैरा 23(ch)(i)	अनिर्णीत
111	पैरा 23(chh)	अनिर्णीत
112	पैरा 23(j)	अनिर्णीत
113	पैरा 23(jh)	अनिर्णीत
114	पैरा 23(anh)	अनिर्णीत
115	पैरा 23(t)	अनिर्णीत
116	पैरा 24(k)	अनिर्णीत
117	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
118	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
119	पैरा 25(i)	अनिर्णीत
120	पैरा 25(iii)	अनिर्णीत
121	पैरा 26(k)	अनिर्णीत
122	पैरा 26(kh)	अनिर्णीत
123	पैरा 26(g)	अनिर्णीत

124	पैरा 26(gh)	अनिर्णीत	
125	पैरा 26(ang)	अनिर्णीत	
126	पैरा 26(ch)	अनिर्णीत	
127	पैरा 26(chh)	अनिर्णीत	
128	पैरा 27	अनिर्णीत	

¼11½ vd{k.k ifronu vof/k 04@2005 l 03@2007

1	पैरा 2	अनिर्णीत	
2	पैरा 2(i)	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की राषि ₹810 सरकारी कोष में 09.05.2008 को चालान के द्वारा जमा करवा दी गई थी। अतः पैरा निर्णीत किया गया।
3	पैरा 2(ii)	निर्णीत	कोई आपत्ति नहीं। अतः पैरा निर्णीत
4	पैरा 3(क) से (ङ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(ए)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(सी)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4(डी)(i)	अनिर्णीत	
10	पैरा 4(ई)	निर्णीत	आपेक्षित इन्द्राज पंजीकरण रजिस्टर मे दर्ज कर दिया गया है। अतः पैरे का निपटारा कर दिया गया।
11	पैरा 4(एफ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 4(जी)	अनिर्णीत	
13	पैरा 5	अनिर्णीत	
14	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
15	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
16	पैरा 6(iii)	निर्णीत	₹211/—की राषि जी—8 संख्याः 42/41 व 40/41 के दिनांक 06.05.10 द्वारा जमा करवा दी गई थी। अतः पैरे का निपटारा कर

			दिया गया।
17	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत	
18	पैरा 6(v)	अनिर्णीत	
19	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत	
20	पैरा 6(vii)	निर्णीत	₹100/–की राषि जी–8 संख्याः 46/49, दिनांक 07.12.10 के द्वारा वसूल कर ली गई अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
21	पैरा 6(viii)	निर्णीत	₹1482/–की राषि जी–8 संख्याः 43/49, दिनांक 07.12.10 के द्वारा वसूल कर ली गई अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
22	पैरा 6(ix)	निर्णीत	₹467/–की राषि जी–8 संख्याः 44/37, दिनांक 08.02.10 के द्वारा जमा करवा दी गई थी। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
23	पैरा 6(x)(a)	निर्णीत	₹371/–की राषि जी–8 संख्याः 29/49, दिनांक 30.11.10, 15/48, दिनांक 04.11.10 व 24/44, दिनांक 03.07.10 के द्वारा (130+176+65) जमा करवा दी गई। अतः पेरे का निपटारा कर दिया गया।
24	पैरा 6(x)(b)	अनिर्णीत	
25	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत	
26	पैरा 6(xii)	अनिर्णीत	
27	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत	
28	पैरा 7(i)	अनिर्णीत	
29	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत	
30	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
31	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत	
32	पैरा 7(v)	अनिर्णीत	
33	पैरा 8(i)	अनिर्णीत	
34	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत	